



- (5) लम्बित आपराधिक मामले
- (i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (i) के सामने "लागू नहीं" होना लिखें)
- या
- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लम्बित हैं
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे सारणी में सभी लम्बित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	पुलिस थाना कराहल अपराध कं. 02/2022	पुलिस थाना कराहल अपराध कं. 93/2023	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	जे.एम.एफ.सी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के प्र.कं. आरसीटी 972/2022	जे.एम.एफ.सी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के प्र.कं. आरसीटी 1051/2023	लागू नहीं होता
(ग)	अंतर्वलित संबंध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	धाराएं 323, 294, 506, 34 आई.पी.सी.	धाराएं 294, 323, 341, 506 34 आई.पी.सी.	लागू नहीं होता
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	मुहवाद	मुहवाद	लागू नहीं होता
(ङ)	क्या आरोप विचरित किए गए हैं(हों या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हों हैं, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हों या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

W